सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 133/11 **निर्णय दिनांकः— 31—07—2019**

1. मदनलाल पुत्र गरीबदास उर्फ गरीबाराम (फौत)
1/1. भींयाराम
1/2. बिन्दुराम
1/3. मु. मुनी बेवा मदनलाल
2. भंवरराम पुत्र गरीबदास उर्फ गरीबाराम
3. सुरजाराम पुत्र गरीबदास उर्फ गरीबाराम (फौत)
3/1. मनोज कुमार
3/2. पंकजकुमार
3/3. मु. दरिया बेवा सुरजाराम
3/4. मु. भांबू बेवा स्व. महेन्द्र पुत्र सुरजाराम
3/5. किशनपुत्र स्व. महेन्द्र पुत्र सुरजाराम
3/6. मु. कानी पुत्री स्व. महेन्द्र पुत्र सुरजाराम
3/6. सागर पुत्र स्व. संजय पुत्र सुरजाराम
3/7. राहुल पुत्र स्व. संजय पुत्र सुरजाराम
3/8. रोहित पुत्र स्व. संजय पुत्र सुरजाराम
3/9. लाली पुत्री स्व. संजय पुत्र सुरजाराम
4. सीताराम पुत्र गरीबदास उर्फ गरीबाराम (फौत)
4/1. सुन्दरदेवी बेवा सीताराम
4/2. राजूराम पुत्र सीताराम

—अपीलांटस

—बनाम—

1. कंवरराम पुत्र चन्दरदास उर्फ चरणदास
2. भंवर उर्फ जवाहरलाल पुत्र चन्दरदास उर्फ चरणदास
3. मुरली
4. मु. मथरादेवी बेवा प्रकाश
5. धनराज पुत्र प्रकाश
6. देवकिशन पुत्र प्रकाश
7. आदूराम पुत्र चन्दरराम
8. सीताराम पुत्र चन्दरराम
9. ईशरराम पुत्र नानूराम

10. बनाराम पुत्र नानूराम
11. सीताराम पुत्र नानूराम
12. आत्माराम पुत्र नानूराम
13. जगदीश प्रसाद पुत्र अखाराम
14. त्रिलोकाराम पुत्र अखाराम
15. दीपाराम पुत्र अखाराम
16. पपुराम पुत्र अखाराम
17. मूलाराम पुत्र अखाराम
18. आत्माराम पुत्र अखाराम
19. बल्लूराम पुत्र अखाराम

निवासीगण नोखा वार्ड नम्बर 2 हरिजन बस्ती, नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14—10—2011
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री विवेक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14—10—2011 जिसके द्वारा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक दावा बाबत् धोषणात्मक व दुरूस्ती का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत पूर्व वाद संख्या 146/99 निर्णय दिनांक 28—02—2001 में विभाजन को आधार बनाकर खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स कंवराराम वगैरा ने वर्ष 1999 मे उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) के समक्ष एक दावा बाबत् धोषणात्मक एवं विभाजन का प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार बनाया गया था, परन्तु न्यायालय स्थानान्तरण पर सुनवाई की तिथि की सूचना दिये बिना प्रतिवादीगण का जवाब बन्द कर साक्ष्य का अवसर दिये बिना राजस्व रिकार्ड के आधार पर दावा डिक्री कर दिया गया। उक्त दावें में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा वादीगण स्वयं द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के द्वारा अपना हिस्से की 35 बिस्वा भूमि अपीलांट्स को हस्तान्तरित करने का तथ्य छिपाकर न्यायालय को भ्रमित करते हुए दावा डिक्री करवा लिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा विक्रयपत्रों के आधार पर अपने हकों की धोषणा हेतु नया वाद दिनांक 15—06—2001 को पेश किया गया, जिसमें पूर्व में दिनांक 28—02—2001 को निर्णित वाद का उल्लेख नहीं था। इसी आधार पर परीक्षण न्यायालय नये सिरे से प्रस्तत वाद को पूर्व न्याय के सिद्वान्त के आधार पर खारिज कर दिया। जिसकी यह अपील पेश की गई है। अपीलांट्स का कथन है कि सहायक कलेक्टर, नोखा द्वारा दिनांक 28—02—2001 को जारी निर्णय एवं डिक्री की अपील होने पर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त डिक्री को निरस्त कर दिया गया। उन्होनें राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 21—11—2013 की प्रति पेश की। उक्त निर्णय अपास्त हो जाने के बावजूद इसे ही आधार बनाकर पूर्व न्याय के सिद्वान्त पर वाद खारिज करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में उपरोक्त तथ्यों का खुलासा किया तथा रेस्पोडेन्ट स्वयं तथा उनके पिता द्वारा अपना हिस्सा अपीलांट्स के पक्ष में विक्रय कर दिये जाने के दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण करते हुए नये सिरे से निर्णय करने का आग्रह किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा धोषणात्मक व विभाजन कर प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रोड़ा के पुराने खेत खसरा नम्बर 439 तादादी 28 बीघा 3 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1265 तादादी 6.12 हेक्टर पैमूद हुए है, के बाबत् पूर्व में वाद संख्या 146/99 दिनांक 28—02—2001 को गुणावगुण पर निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में समान भूमि व समान पक्षकार होने के कारण प्रकरण पर रेसज्यूडिकेसा के सिद्वान्त लागू होते है। ऐसी स्थिति में समान भूमि व समान विषयवस्तु पर पुनः दावा नहीं लाया जा सकता। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि चूंकि उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है। ऐसीस्थिति में वादी को उक्त निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी। इस आधार पर अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है क्योंकि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग पूर्व में किया जा चुका है। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से बार—बार दावा/अपील प्रस्तुत की जाती रही है। ऐसी स्थिति में समान पक्षकार द्वारा समान वादगत् भूमि के बाबत् वाद/अपील प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार हासिल नहीं है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा इसी आधार पर अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहे है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट/वादीगण का वाद धारा 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि कंवराराम वगैरा ने वर्ष 1993 में अपने हिस्से की 35 बिस्वा भूमि का विक्रय भंवराराम को विक्रय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1999 में प्रस्तुत बंटवारें के दावे में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त वाद पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के समक्ष जैरकार था, जो स्थानान्तरण के पश्चात् सहायक कलेक्टर, नोखा के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। उक्त दावें में जवाब दावा स्वीकार नहीं किया गया तथा ना ही विभाजन की डिक्री में सह खातेदारों को पक्षकार ही बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जे की स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना व प्रारम्भिक डिक्री जारी किये बिना कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार धोषित कर दिया गया।

प्रकरण में पूर्व दावा तथ्यों को छिपाकर एवं सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना पेश किया गया था। उक्त दावें में पारित निर्णय दिनांक 28—02—2001 को न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 21—11—2013 को अपास्त किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में पूर्व में पारित निर्णय को आधार बनाकर व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तनकी बनाकर निर्णय करने के आदेश की पालना किये बिना वाद खारिज करने में भूल की है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय दिनांक 14—10—2011 निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में तनकीयात् कायम करते हुए साक्ष्यों व सबूतों का विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पातिर करें।

9. निर्णय आज दिनांक 31—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर